कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018/ 49 , खण्डवा, दिनांक– 9.1.2018

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा–11 प्रारंभिक अधिसूचना** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण क्रमांक 0004/अ–82/2017–18 ग्राम रोइनाई तहसील खण्डवा

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा –11 प्रारंभिक अधिसूचना** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा –11 प्रारंभिक अधिसूचना** की दो प्रतियां **(एक मूल प्रति** एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018/ 50 खण्डवा, दिनांक– 9.1.2018

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **धारा –11 प्रारंभिक अधिसूचना** की चार– प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी –एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग–13 खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे । समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **धारा –11 प्रारंभिक अधिसूचना** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर –6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर

3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर

5. ग्राम **रोइनाई** की चौपाल पर .

अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्रं. /एल. ए./ 131 /2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 0004 /अ–82/17–18 खण्डवा, दिनांक 05-01-2018

//प्रारंभिक अधिसूचना//

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मे उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः 'भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013'' की धारा **11** (1) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनूसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित **छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई योजना के पंप हाउस–2 के निर्माण कार्य** की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा –4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। इस क़ारण से धारा– 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	**रोहनाई**	**0.87 हे0**	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 13 खण्डवा	**छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई योजना के पंप हाउस–2 के निर्माण कार्य हेतु**

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 13 खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेकसिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन राजस्व विभाग
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018/ 47 खण्डवा, दिनांक– 9.1.2018

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक **0004/अ–82/2017–18 ग्राम रोइनाई** तहसील **खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना** की दो प्रतियां **(एक मूल प्रति** एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018 48 खण्डवा, दिनांक– 9.1.2018

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छू अधिसूचना** की चार– प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनि समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी –एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग–13 खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित त गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **सामाजि समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।

4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर –6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर त ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस करें

   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर

   3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर

   5. ग्राम **रोइनाई** की चौपाल पर .

अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्र. /एल. ए./ 131 /2017
भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 0004 /अ–82/2017–18 खण्डवा, दिनांक 05/01/2018

//अधिसूचना//

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 13 खण्डवा द्वारा पत्र पत्र क्रमांक 2177/कार्य/जीसी45/भाग–2 दिनांक 7.10.2017 प्रस्तुत कर **छैगांवमाखन उदवहन सिंचाई योजना के पंप हाउस–2 के निर्माण कार्य** हेतु निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.87 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही भूमि का अधिग्रहण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै अभिषेकसिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 मे वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :–

स.क.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	**खण्डवा**	**खण्डवा**	**15**	**रोहनाई**	**0.87 हे.**	**छैगांवमाखन उदवहन सिंचाई योजना के पंप हाउस–2 के निर्माण कार्य हेतु**

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल मे कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेकसिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा